संख्या-197/2021/1090 /23-9-2021-02एस0सी0पी0/2019

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कुशीनगर ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 15 दिसम्बर, 2021**

विषयः अनुदान संख्या-83 एस0सी0पी0 के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1211/4 लेखा, दिनांक 07.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद कुशीनगर के निम्नलिखित सूची के स्तरम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा स्वीकृत 10 कार्यों हेतु शासनादेश संख्या-64/2020/370/23-9-2020-02एस0सी0पी0/2019, दिनांक 19.03.2020 द्वारा स्वीकृत द्वितीय किस्त की धनराशि रू0 53.28 लाख आहरित न की जा सकने के कारण लैप्स हो जाने की सूचना देते हुए उक्त लैप्स धनराशि पुनः आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अधीन पूर्व में एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत् जनपद कुशीनगर के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 19.03.2020 द्वारा 10 कार्यों हेतु द्वितीय किस्त में स्वीकृत/लैप्स धनराशि रू0 53,28,000/ (रूपये तिरपन लाख अट्ठाइस हजार मात्र) को निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-10 के अनुसार अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0 में)	स्वीकृत लागत	प्रथम किस्त के रूप में आवंटन	द्वितीय किस्त/ लैप्स धनराशि	जिलाधिकारी द्वारा की गयी मांग	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कुशी नगर	लखुआ खुर्द में मोतीझील टोला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019, दिनांक 12.12.2019	0.90	61.67	24.67	5.96	5.96	5.96
2	कुशी नगर	पिपरा बुजुर्ग से मिश्रौली टोला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019, दिनांक 12.12.2019	0.55	38.05	15.22	3.68	3.68	3.68
3	कुशी नगर	रामपुरभाट से बरवां छापर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019, दिनांक 12.12.2019	0.55	37.44	14.98	3.62	3.62	3.62
4	कुशी नगर	खानू छपरा में नाहर छपरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019, दिनांक 12.12.2019	0.62	42.41	16.96	4.10	4.10	4.10
5	कुशी नगर	अथरहां से भटवलिया टोला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019, दिनांक 12.12.2019	1.70	99.34	39.74	9.60	9.60	9.60
6	कुशी नगर	रामपुर बुजुर्ग से तिवारी टोला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019, दिनांक 12.12.2019	0.90	57.82	23.13	5.59	5.59	5.59
7	कुशी नगर	रामपुर बगहा सम्पर्क मार्ग से कोईरी टोला सम्पर्क मार्ग	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019, दिनांक 12.12.2019	0.50	34.06	13.62	3.29	3.29	3.29
8	कुशी नगर	मगडीहा पासी टोला सम्पर्क मार्ग	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019, दिनांक 12.12.2019	0.50	33.08	13.23	3.20	3.20	3.20
9	कुशी नगर	लाला छपरा सम्पर्क मार्ग से दूबे टोला सम्पर्क मार्ग	129/2019/आ0-114(1)/23-9-2019, दिनांक 12.12.2019	0.30	21.24	8.50	2.05	2.05	2.05
10	कुशी नगर	ठाढ़ीभार इन्नर पट्टी मार्ग किमी0-4 से ताध टोला सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण कार्य	125/2019/आ0-142(1)/23-9-2019, दि0 09.12.2019	1.80	126.16	50.46	12.19	12.19	12.19
			कुल योग-	**8.32**	**551.27**	**220.51**	**53.28**	**53.28**	**53.28**

3- उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

4- प्रश्नगत मार्गों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर उन्हें निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा मार्गो का पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय।

5- संलग्न सूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 28-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण, 00, 24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव

संख्या उपरोक्त तद दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- संबंधित मण्डलायुक्त।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन ।
4- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ ।
5- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
6- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त ।
7- संबंधित जिला विकास अधिकारी/संबंधित परियोजना निदेशक ।
8- संबंधित अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद ।
9- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
10- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/8 ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10 / वित्त (लेखा) अनुभाग-2 ।
12- गार्ड फाईल / एन0आई0सी0 हेतु ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in